जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या-क्या है ;

(ग) क्या इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार पाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या-क्या है जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है और कार्यवाही का स्वरूप क्या है।

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** :

(क) से (घ) सरकारी उद्यम विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरक्षण सम्बन्धी जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर सरकारी उद्यमों में नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण हेतु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनके प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के माध्यम से अनुदेश जारी करता रहा है आरक्षण रिक्ति पर आधारित होता है और इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुदेशों का ईमानदारी से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए है। इन अनुदेशो को कार्यान्वित करने का दायित्व औपचारिक ढंग से प्रशासनिक मन्त्रालयों तथा सरकारी उद्यमों, दोनों के विभागाध्यक्षों पर है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल मिलाकर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 1-1-1971 को 8.17 से बढ़ कर 1-1-1992 को 17.76 हो गया है और अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह प्रतिनिधित्व 1-1-1971 को 2.24 से बढ़ कर 1-1-1992 को 7.51 प्रतिशत हो गया है।

**गुजरात में विकास केन्द्र**

3161. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गुजरात के विभिन्न औद्योगिक विकास केन्द्रों को कौन-कौन सी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान गुजरात में इन विकास केन्द्रों द्वारा निष्पादित कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि ये विकास केन्द्र अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य का निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** :

(क) और (ख) गुजरात सहित देश भर में चुने हुए विकास केन्द्रों में बिजली, पानी, बैंकिंग सड़कों और दूर संचार जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी ताकि उद्योग इन क्षेत्रों की ओर आकृष्ट हों।

(ग) और (घ) यह योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही है जो कि राज्यों में अनुमोदित तीन विकास केन्द्रों के लिए भूमि का अधिग्रहण और विकास करके मूलभूत सुविधाएं सृजित करने के कार्य कर रही है।

**INDUSTRIAL GROWTH CENTRES RECOGNISED BY GOVERNMENT**

3162. **SHRI IQBAL SINGH** : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the details of industrial growth centres in the country, particularly in Punjab, recognised by Government during the last three years ; and

(b) the number and details of the centres to be recognised during the next one year ?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPART-**